

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 2249
Dated 4-12-2004

नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(सीमा सड़क विकास गंडल)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2004

सा.का.नि. 57 तारीख ९ फरवरी, 2004 में निम्निलिखित संशोधन किये जाते हैं :— सा.का.नि. 409.— भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड ३, उपखंड (¡) में प्रकाशित भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या

क्तमांक संख्या (१) संक्षिप्त नाग और प्रारम्भ :--

इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क (चिकित्सा अधिकारी समृह "क") भर्ती नियम 2003 है।

इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सड़क (चिकित्सा अधिकारी समृह ''क'') भर्ती नियम 2004 है।

[फा सं. बी आर डी बी/01/59/1999/जी ई.4] एस. के. शर्मा, अवर सचिव

(Border Roads Development Board) CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd November, 2004

G.S.R. 409.—The following amendments may be made in the Notification of the Government of India, Ministry of Section (i) —

Against the entries under Srl. No. 1 Short title and commencement

For—(1) These rules may be called the Border Roads (Medical Officers Group 'A') Recruitment Rules, 2003.

Against the entries at Srl. No. 5 pertaining to Medical Officer Grade II in Column 14 (in English version Read—(1) These rules may be called the Border Roads (Medical Officers Group 'A') Recruitment Rules, 2004.

For Consultation with Union Public Service Commission not necessary

Read Consultation with Union Public Service Commission necessary

The above corrections may be made in the original Gazette Notification.

[F. No. BRDB/01/59/1999/GE-I] S. K. SHARMA, Under Secy.



EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 240-248

Dated 21-2-2004

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(सीमा सङ्क विकास बोर्ड) नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2004

गया है या करने से लोप किया गया है, साधारण रिजर्व इंजीनियर बल में समूह "क" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :— (चिकित्सा अधिकारी समूह ''क'') भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया सा. का. नि. 57.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परनुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सड़क

- संक्षिप नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप नाम सीमा सड़क (चिकित्सा अधिकारी समूह "क") भर्ती नियम,
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- उपायद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं। पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से
- संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं। भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे
- निरर्हता.—वह व्यक्ति—

14.54

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- उक्त पर पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : के के किस्तोज लगीक को किस : कावडी (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि

में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर जिसकी अवधि चार वर्ष से कम न हो, जिसमें प्रशिक्षण पर व्यतीत अवधि भी है, यदि कोई है, के लिए बाध्य होगा। सेवा के लिए दायित्व के संदर्भ में विशेष भर्ती.—सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा अपेक्षित हो जो किसी भी रक्षा सेवा

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति:-

- (위) जिसने नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो को उपरोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा, तथा
- (ख) साधारणतः 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।

भी या रक्षा उपक्रमों से संबंधित कार्यों पर भारत में कहीं भी या विदेश में, कार्य करना आवश्यक होगा। परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि जब कभी भी विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होगा तो इन व्यक्तियों के रक्षा सेवाओं में आगे

- की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए
- सैनिकों, और अन्य विशेष प्रका के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय

अनुसूची

^{1. 1.} पद का नाम

^{2.} पदों की संख्या

[:] मुख्य चिकित्सा अधिकारी

^{: 1* (2003)}

^{*} कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

र रहे देख

ं वितनसान

: साधारण केन्द्रीय सेवा, सनूह ''क'' राजमित्रत, अननुसचिवीय

: 表 18,400-500-22,400

18,400-22,400 व्यवसाय निषेध भत्ता जब किसी सिवितियन मुख्य चिकित्स अधिकारी द्वारा पद धारण किया हुआ हो।

गीट : जब इस पद पर रक्षा सेवा की नेडिकल कोर के विगेडियर वा समग्रुल्य पंक्ति के सैन्य चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हो। विगेडियर को लागू वेतनमान और पंक्ति वेतन लागू होगा।

: घयन

ः लागू नहीं होता।

ः लागू नहीं होता।

लागू नहीं होता।

7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा

अनुज्ञंय हैं

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा

चयन अथवा अच्चन पद

 सीघे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

 सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्तत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी

10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

11. भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

 प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वार भर्ती की दशा में वे श्रीणयां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

ः लागू नहीं होता।

लागू नहीं होता।

: भ्रेनित

प्रोन्नि : ऐसे उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) जिन्होंने 14,300-18,300 रुपये के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।
टिप्पण : विभाग द्वारा अनुसरित कार्मिक नीति के अनुसार सैन्य बल चिकित्सा काडर से ब्रिगेडियर या समतुल्य पंक्ति के अधिकारी तैनाती द्वारा।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्ति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से, जो भी कम हो, कम न और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्ति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

समूह "क" विभागीय प्रोनित सिमिति प्रोनित के संबंध में विचार करने के लिए:

13. यदि विभागीय प्रोन्ति समिति है, तो उसकी संरचना:

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग

-अध्यक्ष

-सदस्य -सदस्य

2. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड

3. महानिदेशक, सीमा सड़क

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

14.

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संब लोक

सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

2. 1 : उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी)

: 04* (2003)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

: साधारण केन्द्रीय संचा, समृह ''क'', राजपत्रित, अननुसचित्रीय

रू. 14300-490-18300 (रूपचे 14300-18300 और व्यवसाय निपेध भत्ता जैसा अनुकंद हो सहित)।

घलन

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

33 लाग नहीं होता

.0 लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

50 प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनेयुक्ति द्वारा।

50 प्रतिशत प्रतिनिसुक्ति द्वारा।

प्रोन्गिति : 12000-16500 रु. के वेतनमान के उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोनित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविधि ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से वा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक/पात्रता सेवा भूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ष्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई 왕보기

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो :-

- (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, वा
- (ii) जिन्होंने 12,000-16,500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में मूल काडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो, और
- (酉) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता है :—
- Ξ स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता (मास्टर ऑफ डाक्टर या मास्टर ऑफ सर्जरी) : या समतुल्य।
- (H) चिकित्सा अधिकारी या वरिष्ठ रैजीडेंट या सहायक आचार्य के रूप में दस वर्ष कार्य का अनुभव हो। विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी या समतुल्य

बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) **टिप्पण :** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर

- समूह "क" विभागीय प्रोन्नति सिमिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)-
- 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग

2. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड

-सदस्य

-अध्यक्ष

3. महानिदेशक, सीमा सड़क

- संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हैं।
- उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी
- 04* (2003)
- * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''क'', राजपत्रित, अननुसचिवीय
- रु. 12000-375-16500 (रूपये 12000-16500 और व्यवसाय निषेध भत्ता जैसा अनुजेय हो सहित)।
- 6 लागू नहीं होता
- 7 लागू नहीं होता
- 8 लागू नहीं होता
- 9 लागू नहीं होता
- 10 लागू नहीं होता
- 7 प्रोनिति : जय कभी फीडर श्रेणी के अधिकारियों की अनुस्तव्यता के कारण प्रोनिति द्वारा असफल रहने पर नियुक्ति प्राधिकारी के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अस्थाई तौर पर रक्षा बलों के चिकित्सा काडर में शङ्का प्रश्वार्ध अधिकारियों के द्वारा पर्यों को भर सकते हैं परनु उनकी संख्या कुल

कर ली हैं, जिन्होंने ऐसी अईक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। डन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियां सहित उनको उच्चतर श्रेणी में पोन्ति के जिल् अपनी परिर्हाक्ष की सक्ति रामस्त्रतार्थिक कि अहं क पात्रता सेवा, अमेरित अहंक पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या हो वर्ष में, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तय जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपना अहंक/पात्रता सेवा पूरी कर लो है, प्रोनित के लिए विचार प्रोन्ति : 10000-15200 र. के चेतनमान के चिकित्सा अधिकारी श्रेणी-1 किलीने श्रेणी में पांच वर्ष नियमिन संचा की हो।

समूह "क" विभागीय प्रोन्ति समिति (प्रोन्ति के संबंध में विचार करने के लिए)

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग

-अध्यक्ष

सचिव, सीमा सड़क विकास वोर्ड

-सदस्य

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है महानिदेशक, सीमा सङ्क

-सदस्य

चिकित्सा अधिकारी श्रेणी-I

40* (2003)

कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''क'', राजपत्रित, अननुसचिवीय

रु. 10000–325ं–15200 (रुपये 10000–15200 और व्यवसाय निषेध भता जेंसा अनुशेय हो सहित)।

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

10 लागू नहीं होता

3 와 니 니 लागू नहीं होता

12 प्रोनितः

50 प्रतिशत प्रोन्नित 8000-13500 र. के वेतनमान के ऐसे चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II में जिन्होंने ब्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की

(ii) 50 प्रतिशत रक्षा बलों में सदृश पदधारक चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती द्वारा।

कर ली है, जिन्होंने ऐसी अईक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के तिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी अहंक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से वा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और टिप्पण : जहां ऐसे कानिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा भूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी

समूह "क" विभागीय प्रोन्गति समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) :

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग

-अध्यक्ष

2. सचिव, सीमा सड़क विकास बोड महानिदेशक, सीमा सड़क

- सदस्य

-सदस्य

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

चिकित्सा अधिकारी श्रेणी-II

64* (2003)

कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा नकता है।

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''क'', राजधीवत, अनतुसचिवीय

र. 8000-275-13500 (रूपरी 8000-13500 और व्यवसाय निषेध भक्ता जैसा अनुशंप हो सहित)।

लागू नहीं

आयु 35 वर्ष से अनिधक।

0

टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जाते किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिधित को जा सकती है।

अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। सिक्किम, जन्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोंल और स्मीति जिले तथा जन्म जिले के पंगी उपखंड गई अन्तिम तारीख होगी। न कि कर अन्तिम तारीख जो असम, मेवालय. अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिक टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यर्षियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की

7 : लागू नहा होता

8 : आवश्यक :

- (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के पहली या दूसरी या तीसरी अनुसूची के भाग Π में सम्मिलित चिकिरसीय अर्हताओं (अनुज्ञप्ति योग्यताओं के सिवाय) है तीसरी अनुसूची के भाग II में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13(3) में दी गई शर्ते पूरी करनी होंगी।
- (ii) अनिवार्य इंटर्निशप पूरी की हो।

प्राप्त न होने वाले अभ्यर्थियों के उपलब्धता पर उनके लिए आरक्षित पदों को भरा नहीं जायेगा। के अभ्यर्थियों के बारे में छूट प्रदान की जायेगी, यदि चयन के परचात् किसी भी स्तर पर आयोग को इन वर्गों से आवश्वक अनुभव टिप्पण $\Pi: -$ अनुभव आदि के संबंध में योग्यताओं में छूट संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति टिप्पण पूर्णतया अर्हक अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शैक्षिक योग्यता में छूट प्रदान की जाएगी।

- 9 : लागू नहीं होता
- 10 : सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष
- Ξ 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने की दशा में रक्षा सेवाओं में समकक्ष पदों पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियो की तैनाती द्वारा।
- 50 प्रतिशत रक्षा सेवाओं में समकक्ष पदों पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती द्वारा
- 12 : लागू नहीं होता

3

- समूह "क" विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्ति के संबंध में विचार करने के लिए) :
- 1. सचिव, सीमा सड़क विकास बोर्ड
- –अध्यक्ष
- 2. उप-महानिदेशक, (वैयक्तिक), सीमा सड़क
- क सदस्य

-सदस्य

- 3. निर्देशक/उप-सचिव, सीमा सङ्क विकास वोर्ड
- संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. सीसवि मं/01/59/1999/जी ई-1]

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS एस. के. यगनिक, निदेशक

(Border Roads Development Board)

New Delhi, the 9th February, 2004

or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of supersession of the Border Roads (Medical Officers Group 'A') Recruitment Rules, 1988 except as respects things done recruitment to the Group 'A' posts in the General Reserve Engineer Force, namely -In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in

'A') Recruitment Rules, 2003 1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Border Roads (Medical Officers Group

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- rules. Application.-These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedules annexed to the w
- scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 1 of the Schedule 3. Number of post, classification and scale of pay :-—The number of the said posts, its classification and the
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-
- 5. Disqualification.—No person,—
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

shall be eligible for appointment to the said post: (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule. Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law

6. Special requirement regarding liability to serve.—Any person appointed to the service shall, if so required, be liable to serve in any Defence Services or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any :

Provided that such a person,

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment; and

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years;

Provided further that, as and when required to do so in special circumstances, such a person shall be liable

it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission. further to serve in the Defence Services or on work relating to Defence efforts any where in India or abroad 7. Power to relax.--Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do

categories of persons in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time in this regard be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons Savings .- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions to

				SCHEDULE
1. 1	1. 1. Name of post			Chief Medical Officer
2	Number of post		ii e	1* (2003)
				*Subject to variation dependent on workload.
w	Classification			General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial
4	 Scale of pay 			Rs. 18400-500-22400
			1.	(Rs. 18400—22400 plus non-practicing allowance when held by a Civilian Chief Medical Officer).
				Note: When held by Armed Forces Medical Officer of the rank of
				Engager or equivalent of the Medical Corps of Defence Forces. The pay scale applicable to Brigadier plus rank pay shall be
10.				applicable.
S	Whether selection or			Selection
	non-selection post			
6	Age limit for direct recruits	uits		Not applicable.

7 Whether benefit of added years of service

Educational and other qualifications required for direct recruits

cations prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees Whether age and educational qualifi-

10 Period of probation, if any

posts to be filled by various methods ation/absorption and percentage of the recruitment or by promotion or by deput-Method of recruitment whether by direct

12: In case of recruitment by promotion/ which promotion or deputation or ab deputation/absorption grades from

sorption to be made

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Promotion

Promotion:

Deputy Chief Medical Officer (Selection Grade) in the pay scale Rs. Jassey 18300 with three years regular service in the grade

followed by the department from the Armed Forces Medical Cadre as per the manning policy Note: An officer of the rank of Brigadier or equivalent by posting

eligibility service are being considered for promotion, would also be considered provided they are not short of the requisite Note: Where juniors who have completed their qualifying or their seniors

exists, what is its composition If a Departmental Promotion Committee

> successfully completed their probation period for promotion to the qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying completed such qualifyin next higher grade alongwith their juniors who have already or eligibility service or two years, whichever is less, and have g or oligibility sorrico

Promotion): Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering

- Chairman/Member Union Public Service Commission
- Secretary, Border Roads Development -Member Chairman

2

- Consultation with Union Public Service Director General Border Roads -Member
- necessary Commission not

Deputy Chief Medical Officer (Selection Grade).

in making recruitment

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted

- *Subject to variation dependent on workload
- General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
- Rs. 14,300-400-18,300

- Selection
 - (Rs. 14,300-18,300 Plus non-practicing allowance as admissible).
- 6 Not applicable.
- Not applicable
- 00 Not applicable
- 9 Not applicable
- 10 Not applicable
- 50 per cent by promotion failing which by deputation

STATE PATHERS

50 per cent by deputation.

Promotion: Deputy Chief Medical Officer in the pay scale of Rs. 12,000—16,500 with five years regular service in the grade

or eligiblity service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade

Deputation: Officers of the Central Government :

- (a)(1) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500 or equivalent in the parent cadre or department; and
- 9 possessing the following educational qualifications and experience :-
- (i) Post Graduate Medical Qualification (Master of Doctor or Master of Surgery), or equivalent
- Ten years working experience as Medical Officer or Senior Resident or Assistant Professor Specialist Medical Officer or equivalent posts

preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt, shall Note: Period of deputation including period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not

- 1 Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Considering Promotion):
- Chairman/Member Union Public Service Commission— -Chairman
- Secretary, Border Roads Development Board-Member
- Director General Border Roads—Member
- Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

نن Deputy Chief Medical Officer

4* (2003)

*Subject to variation dependent on workload

General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial

Rs. 12,000-375-16,500.

Rs. 12000-—16.500 Plus admissible non-practicing allowance)

Selection

0 Not applicable

-1 Not applicable

00 Not applicable

9 Not applicable

10 Not applicable.

Promotion:

may fill up not more than 20 per cent of the posts by posting of officers holding analogous posts in the As and when promotion fails due to non-availability of feeder grade officers, The appointing authority

medical cadre of Defence Forces as temporary measure

12 service in the grade Promotion: Medical Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 10,000--15,200 with five years regular

alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. or eligiblity service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade

13 Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman

Secretary, Border Roads Development Board-Member

Director General Border Roads -Member

Consultation with Union Public Service Commission not necessary

Medical Officer Grade-I

40* (2003)

*Subject to variation dependent on workload

General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.

Rs. 10,000-325-15,200.

(Rs. 10,000—15,200 Plus admissible non-practicing allowance)

U Selection

6 Not applicable

7 Not applicable

00 Not applicable

9 Not applicable

10 Not applicable

Promotion

Promotion:

years regular service in the grade (i) 50 per cent promotion from Medical Officer Grade-II in the pay scale of Rs. 8,000-13,500 with five

(ii) 50 per cent by posting of Medical Officers holding analogous posts in the Defence Forces.

alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service less, and have successfully completed their probation or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for period for promotion to the next higher grade

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

5

- 1. Chairman/Member Union Public Service Commission--Chairman
- Secretary, Border Roads Development Board-Member
- Director General Border Roads—Member

Consultation with Union Public Service Commission not necessary

7

Medical Officer Grade-H

9

*Subject to variation dependent on workload

General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.

Rs. 8,000-275-13,500

(4)

(Rs. 8,000-13,500 Plus admissible non-practicing allowance).

Not exceeding 35 years

6

Note 1: Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders

from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division, J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar or Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications

Not applicable.

8 .7

in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956. cducational qualification included in Part.II of the Third Schedule should fulfil the conditions stipulated Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of Essential: (i) Medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third

(ii) Completion of compulsory internship.

candidates otherwise well qualified. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of The

fill up the posts reserved for them. of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to any stage of selection, Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number

9 Not applicable

10 One year for direct recruits.

the Medical Cadre of Defence Forces (i) 50 per cent by direct recruitment failing which by posting of officers holding analogous posts Ξ

Not applicable (ii) 50 per cent by posting of officers holding analogous posts in the Medical Cadre of Defence Forces.

13 12

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

1. Secretary, Border Roads Development Board--Chairman

Deputy Director General (Personnel) Border Roads—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary. Director/DeputySecretary, Border Roads Development Board--Member.

[F. No. BRDB/01/59/1999/GE-I] S. K. YAGNIK, Director

